अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1826(अ).—जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 521 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड (शिशु और वयस्क) अगरीपाडा म्यूनिसीपल स्कूल बिल्डिंग, मुल्लीवाई स्ट्रीट , बम्बई -400001 द्वारा (क) सोसायटी फॉर दि एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड सेन्टर फॉर इन्डिपेन्डेन्ट लिविंग की साजसज्जा तथा उसको चलाने (ख) एन्टाप हिल स्कूल की साज-सज्जा तथा उसको चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 216 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे

बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 859 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 526 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 526 (अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 81.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रूपए कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड (शिशु और वयस्क) अगरीपाडा म्यूनिसीपल स्कूल बिल्डिंग, मुल्लीवाई स्ट्रीट बम्बई -400001 द्वारा (क) सोसायटी फॉर दि एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड सेन्टर फॉर इन्डिपेन्डेन्ट लिविंग की साजसज्जा तथा उसको चलाने (ख) एन्टाप हिल स्कूल की साज-सज्जा तथा उसको चलाने की परियोजना या स्कीम को 175.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 293/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)